कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक: 9816 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–228/2013 दिनांक: 29/10/2014

कार्यालय–ज्ञाप

रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9 कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में प्रोविजनल पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–12059एम0टी0/54एम–228/2013, दि0–02.12.13 द्वारा दिनांक–28.02.2014 तक के लिए किया गया था, जिसमें कमशः 1. श्री विवेक शंकर रॉव देशपाण्डे, 2. श्री भवानी शंकर हरिशचन्द्र शर्मा, 3. श्री विक्रम भवानी शंकर शर्मा 4. श्री विकास भवानी शंकर शर्मा एवं 5. श्री पाण्डुरंग उद्धवरॉव कुलकर्णी, कुल 05 निदेशक थे।

मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–413आई0एन0बी0/01आई0एन0बी0/13, दि0–20.12.13 व पत्रांक–491/आई0एन0बी0/01आई0एन0बी0/13, दि0–24.01.14 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद–महाराजगंज में इण्डो–नेपाल बार्डर परियोजना के अर्न्तगत खैराघाट–झुलनीपुर से पतलहवा मार्ग के भाग के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर वृत्त, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक–569/5 सी–ई0 ने0बा0 वृत्त/गो0/13, दि0–27.09.13 द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमन्त्रित की गई थी, जिसकी तकनीकी निविदा दि0–05.12.13 को 12:30 बजे ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खोली गई थी। उपरोक्त कार्य हेतु उक्त कम्पनी द्वारा निविदा ऑन–लाइन डाली गई थी, जिसमें कम्पनी द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में कुल तीन नं0 टी0डी0आर0 संख्या (1) 894458, (खाता सं0–50122480101) दि0–20.9.13 धनराशि रू0–4,30,54,968./–, (2) 894154, (खाता सं0–50122736763) दिनांक–20.9.2013 धनराशि रू0–2,15,27,487/– एवं (3) 894152, (खाता सं0–50078092365) दिनांक–20.9.2013 धनराशि रू0–2,50,27,487/– इस प्रकार कुल रू0–8,96,09,942/–(रू0–आठ करोड़ छियानबे लाख नौ हजार नौ सौ बयालिस मात्र), अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(ई0ने0बा0), लो0नि0वि0, महाराजगंज के कार्यालय में जमा की गयी थी। उक्त टी0डी0आर0 इलाहाबाद बैंक की अलीपुर शाखा–ए–रोनाल्डसे मार्ग कोलकता, पश्चिम बंगाल के द्वारा निर्गत थे, जिनका सत्यापन इलाहाबाद बैंक की संबंधित शाखा से कराया गया। सत्यापन से यह विदित हुआ कि उपरोक्त टी0डी0आर0 उक्त कम्पनी के द्वारा नहीं बनवायी गयी थीं, बल्कि टी0डी0आर0 24, साउथ परगना, जिला–परिषद के नाम बना था। इस तरह उक्त कम्पनी ने विभाग के साथ धोखा–धड़ी की एवं आई0टी0बी0 में निहित शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न किए गए स्वयं के शपथपत्र को गलत सिद्ध किया है। उपरोक्त के कम में मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक–1617 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–228/2013, दि0–19.02.13 द्वारा कम्पनी के निदेशक श्री विवेकशंकर रॉव देशपाण्डे को उन्हें व उनकी उपरोक्त कम्पनी को उक्त कृत्य हेतु काली सूची में डाले जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक–07.03.2014 तक का समय उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु दिया गया था, किन्तु नियत अवधि में कम्पनी/निदेशक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–2561एम0टी0, दिनांक–26.03.2014 द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया, जिसके कम में चीफ लीगल हेड, रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9 कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक–23.04.14, जो इस कार्यालय में दिनांक–09.06.14 को प्राप्त हुआ, द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का समय मांगा गया, जिसपर इस कार्यालय के पत्रांक–5230एम0टी0, दिनांक–26.06.14 द्वारा कम्पनी/निदेशक को दिनांक–23.07.14 तक का अतिरिक्त समय उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिया गया, परन्तु इसके उपरान्त भी कम्पनी का कोई उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कम्पनी की ओर से प्राप्त पत्र दि0–23.04.14 के संदर्भ में इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक–5229एम0टी0, दि9–26.06.2014 द्वारा मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर,

पेज 2. पर.....

लो0नि0वि0, लखनऊ से आख्या/संस्तुति मांगी गयी, जिसके कम में उनके पत्रांक–1190/आई0 एन0बी0, दि0–14.07.14 द्वारा उक्त कम्पनी/ निदेशकों को शासनादेश सं0–4127एम0 एस0/ 23सा0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा जारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" के अर्न्तगत की ब्लैक लिस्ट किए जाने की संस्तुति की गयी है।

शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा जारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" में निम्नलिखित प्राविधान उल्लिखित हैं:–

"Chief Engineer may blacklist a contractor(including a firm with all its known partners & propriter) whether registrerd or otherwise where:-

a. There are sufficiant and strong reason to believe that the contractor or his employees has been guilty of malpractices such as brivery, corruption, fraud including substitution of, or interpeletion in tenders, pilfering or unauthorised use or disposal of Government materials issued for specific works etc."

अतः मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 द्वारा प्राप्त आख्या/प्रस्ताव एवं पत्र दि0–14.07.14 द्वारा उपलब्ध कराए गए सुसंगत अभिलेखों एवं की गयी संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु0(7), दि0–02.12.74 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत **रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9 कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र एवं उसके उपरोक्त निदेशकों 1. श्री विवेक शंकर रॉव देशपाण्डे, 2. श्री भवानी शंकर हरीशचन्द्र शर्मा, 3. श्री विकम भवानी शंकर शर्मा 4. श्री विकास भवानी शंकर शर्मा एवं 5. श्री पाण्डुरंग उद्धवरॉव कुलकर्णी** को उपरोक्तानुसार विभाग के साथ धोखा–धड़ी करने का दोषी पाए जाने के कारण **ब्लैकलिस्ट (Black List)** किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

10.14

(महेन्द्र सिंह–I)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0 लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 व दि0–14.07.14. के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।

पेज 3. पर.....

7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर वृत्त, लो0नि0वि0 गोरखपुर।
10. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, पुणे(महाराष्ट्रा), पी0एम0टी0 बिल्डिंग, पुणे स्टाक एक्सचेन्ज, तृतीय तल, डेकन जिमखाना पुणे–411004 को उक्त कम्पनी के सिन–**U45209PN2006PLC120709** के संदर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड–1(इण्डो–नेपाल बार्डर), लो0नि0वि, महाराजगंज को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/निदेशक को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

पंजीकृत 13. श्री विवेक शंकर रॉव देशपाण्डे, निदेशक, रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9, कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0 आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

28/10

(राजेश्वर सिंह)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ